छह लाख कारीगरों को राहत, 300 करोड़ से घटकर 60 करोड़ रुपये पर सिमट गया था कारोबार

अमेरिकी टैरिफ में राहत से जरी हस्तशिल्पियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

जागरण संवाददाता, बरेली: अमेरिका की ओर से आयात शुल्क (टैरिफ) में कमी किए जाने से जरी-जरदोजी से जुड़े हस्तशिल्पियों और निर्यातकों में खुशी का माहौल है। मंडल में लगभग छह लाख हस्तशिल्पी इस पारंपरिक कला से जुड़े हैं, जिनमें करीब 60 प्रतिशत महिलाएं हैं। टैरिफ बढ़ने के बाद निर्यात आर्डर घट गए थे, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई थी।

जरी-जरदोजी को मुगलकालीन कला माना जाता है, जिसका उपयोग पहले शाही परिधानों में किया जाता था। वर्तमान में यह कढ़ाई लहंगा, गाउन और अन्य लग्जरी परिधानों में की जाती है, जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक होती है। बरेली और लखनऊ इस कला के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में भी जरी का काम होता है। राजगढ़िया एक्सपोर्ट के संचालक सुदीप राजगढ़िया ने बताया कि जब अमेरिका में टैरिफ 50 प्रतिशत कर दिया गया था, तब निर्यात प्रभावित हुआ। वार्षिक कारोबार करीब 300 करोड़ रुपये से घटकर 60 करोड़ रुपये तक सिमट गया था। पहले 12 प्रतिशत शुल्क लगता था, जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया और अब घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। शुल्क में कमी के बाद विदेशी खरीदारों की दिलचस्पी फिर बढ़ने लगी है और निर्यात में सुधार की उम्मीद जगी है। जरी उत्पादों की सबसे अधिक मांग अमेरिका के अलावा यूरोप, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में रहती है। पहले 800 डालर तक की शिपमेंट ड्यूटी-फ्री होती थी, जिससे 2400 डालर का माल तीन शिपमेंट में भेजकर बचत की जाती थी, लेकिन अब प्रत्येक शिपमेंट पर 18 प्रतिशत ड्यूटी देना अनिवार्य हो गया है।

क्रिसमस पर होती है अधिक मांग

अमेरिका में जरी परिधानों की खरीदारी क्रिसमस के आसपास सबसे अधिक होती है। फिलहाल जरी का आफ-सीजन चल रहा है, लेकिन अगस्त से वेडिंग सीजन शुरू होते ही मांग में फिर तेजी आने की संभावना है। सुदीप राजगढ़िया ने बताया कि टैरिफ में कमी के बाद सभी पुराने खरीदारों को दोबारा कारोबार शुरू करने का संदेश भेज दिया गया है। उद्योग विभाग के उपायुक्त विकास यादव ने बताया कि जरी-जरदोजी को ओडीओपी (एक जनपद-एक उत्पाद) योजना में भी शामिल किया गया है। जिले में बड़ी संख्या में हस्तशिल्पी इस कार्य में लगे हैं और सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ दिया जा रहा है।

जरी का कार्य करतीं महिलाएं ● सौ. सुदीप

धरातल पर उतरेगी आवास विकास की योजना, भूखंड आवंटन की तैयारी

- सीबीगंज में लैंड पूलिंग के तहत प्रस्तावित योजना का पहले चरण में चार सेक्टरों का होगा नियोजन
- 522 हेक्टेयर में प्रस्तावित योजना के लिए 150 किसानों ने दी है सहमति

जागरण संवाददाता, बरेली : शहर के रामपुर रोड स्थित सीबीगंज में आवास एवं विकास परिषद की लैंड पूलिंग के तहत प्रस्तावित आवासीय योजना को अलग-अलग चरणों में बसाया जाएगा। पहले चरण में चार सेक्टरों को विकास किया जाएगा। इसके लिए 150 किसानों ने सहमति दे दी है। अधिकारियों के अनुसार इसी माह से भूखंड आवंटन का कार्य शुरू किया जा सकता है।

सीबीगंज के सात गांव में 522 हेक्टेयर में प्रस्तावित योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। एक्सईएन राजेंद्र नाथ राम ने बताया कि पहले चरण के तहत चार सेक्टरों के विकास की योजना बनाई गई है। इसके लिए 10 श्रेणियों में भूखंडों का सृजन किया जा रहा है। जल्दी ही अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद काश्तकारों को प्राथमिकता के आधार पर भूखंड आवंटन शुरु कर दिया जाएगा। अब तक 150 किसानों से अनुबंध होने के बाद हर माह प्रति एकड़ पांच हजार रुपये मुआवजा राशि के रूप में पहली किश्त जारी की जा चुकी है। एक्सईएन के अनुसार आवास एवं विकास परिषद की पूर्व में विकसित योजनाओं में भूखंडों के आवंटन के बाद किश्त न जमा कर पाने वाले बकाएदारों को शासन ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत भुगतान के निर्देश दिए हैं, बरेली में विकसित पूर्व की योजनाओं में ऐसे आवंटियों का आडिट कराया जा रहा। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्राधिकरण में मौजूदा समय में कोई डिफाल्टर नहीं है।

शासन के निर्देश पर चाइनीज मांझे की तलाश में पुलिस ने की छापेमारी

फिर शुरू किया अभियान इससे पहले पुलिस कर चुकी है कार्रवाई

जासं, बरेली : चाइनीज मांझे को लेकर शासन ने सख्ती दिखाई और छापेमारी के आदेश दिए तो पुलिस-प्रशासन की टीम एक बार सक्रिय हो गई। गुरुवार को किला, कोतवाली समेत देहात के कई क्षेत्रों में चाइनीज मांझे के विरुद्ध छापेमारी की गई, मगर कुछ खास हाथ नहीं लगा।

चाइनीज मांझे से तमाम लोगों की मौत और घायल होने के मामलों के बाद अब शासन भी इसके प्रति गंभीर हो गया है। चाइनीज मांझा बनाने वालों से लेकर बेचने और उड़ाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। पिछले वर्ष भी बरेली में चाइनीज मांझा बनाते वक्त विस्फोट हुआ और उसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी, मगर इसके बाद भी लोगों ने उसे बनाना नहीं छोड़ा। पुलिस ने 15 जनवरी से अभियान चलाया तो मांझा बनाने और बेचने वालों से कुल 88 चरखी मांझा बरामद किया, जिसमें 80 चरखी चाइनीज और आठ चरखी बरेली मांझा था। 13 लोगों के विरुद्ध छह थानों में प्राथमिकी भी लिखी गई।

छापेमारी के दौरान मौजूद पुलिस और प्रशासन की टीम के अधिकारी ● सौ पुलिस

इन थानों में लिखी गई प्राथमिकी : थाना शीशगढ़ में मिराज अहमद, निसार अहमद, प्रेमनगर में शावेज, किला में तीन मुकदमों में अब्दुल रजा, मुहम्मद सादाब, मुहम्मद अजीम उवेश खां, मुशाहिद खां, नवाब रेहान, और फैज को नामजद किया गया। वहीं, फरीदपुर में अय्यूब, हाफिजगंज में अनमोल गुप्ता और कोतवाली में अनस के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी है।

मांझे से कटने से हुई मौत तो गैर इरादतन हत्या में दर्ज हो सकती है प्राथमिकी : बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज हरित ने बताया कि, चाइनीज मांझे से कटने के बाद किसी की मौत होती है तो उसे गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि उस मांझे से पतंग उड़ाने वाला यह जानते हुए उसे उड़ा रहा था कि उससे कटने पर किसी की जान भी जा सकती है। साथ ही बेचने वाले पर इसलिए प्राथमिकी हो सकती है कि क्योंकि वह यह जानते हुए बेच रहा था कि उससे कटने से किसी की मौत हो सकती है।

क्रिटिकल कारिडोर्स पर प्रवर्तन एवं दुर्घटना जांच के लिए टीमें गठित

ढाबों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण स्थलों पर लगवाएं साइन वोर्ड, अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, बरेली : मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की गुरुवार को आयुक्त सभागार में हुई बैठक में मंडल के चारों जिलों में संचालित जेडएफडी (जीरो फैटालिटी डिस्ट्रिक्ट) की प्रगति की समीक्षा की गई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इंजीनियरिंग सुधार, प्रभावी प्रवर्तन, जन-जागरूकता, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, डेटा आधारित प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया। अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने क्रिटिकल कारिडोर्स पर स्थित ढाबों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व निर्माण स्थलों पर मानक अनुरूप साइन बोर्ड लगाए जाएं।

आरटीओ प्रवर्तन प्रणव झा ने सेव लाइव फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किए क्रिटिकल कारिडोर्स की जानकारी दी। बताया कि बरेली में पांच समेत मंडल में 22 क्रिटिकल कारिडोर बनाए गए हैं। इन मार्गों पर एंबुलेंस की तैनाती, 'गोल्डन आवर' में त्वरित चिकित्सा सुविधा, चिह्नित मेडिकल सेंटरों के माध्यम से शीघ्र उपचार व्यवस्था, रेस्पांस टाइम को कम करने की रणनीति से अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात मो.अकमल खान ने बताया कि बरेली में क्रिटिकल कारिडोर्स पर प्रवर्तन एवं दुर्घटना जांच के लिए 22 विशेष टीमें गठित की गई हैं। मंडल में सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्युदर को न्यूनतम करने के लिए 5-ई माडल (इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, इमरजेंसी केयर, इंचमेंट डाटा) के अंतर्गत सभी विभागों के समन्वय से निरंतर एवं प्रभावी कार्यवाही का संकल्प लिया गया। बैठक में नगर आयुक्त शाहजहांपुर डा. विपिन कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं पंकज सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डा. सुधीर कुमार, संयुक्त शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. तेजपाल, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता रामकुमार, अधिशासी अभियंता भगत सिंह समेत चारों जिलों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

हिस्ट्रीशीटरों के घर नहीं पहुंचा प्रसाद, अभद्रता

- सीबीगंज थाना क्षेत्र का मामला रुद्रपाल सिंह ने दर्ज कराई प्राथमिकी
- आरोप है कि आरोपितों ने उनके साथ पूरे गांव को कहे थे अपशब्द

जासं, बरेली : थार-स्कार्पियो और स्पोर्ट्स बाइक से अपने साथ दबंगों को लेकर घूमने वाले हिस्ट्रीशीटरों ने प्रसाद घर नहीं पहुंचाने पर आयोजक से अभद्रता की। घर में घुसकर मारपीट पर उतारू हो गए। इसके साथ ही पूरे गांव को अपशब्द बोले। मामले में पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।

सीबीगंज के ठिरिया ठाकुरान निवासी रुद्रपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने घर के सामने मंदिर पर श्रीराम चरितमानस का पाठ कराया और कन्याभोज करा रहे थे। आरोप है कि इसी बीच हिस्ट्रीशीटर शिवकुमार उर्फ गब्बर सिंह व इंद्रपाल सिंह वहां आए और गाली-गलौच करने लगे। बोले- कि उनके घर पर प्रसाद क्यों नहीं भेजा। इसके बाद आयोजकों को भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

विरोध पर तमंचा लेकर दोनों उनके घर पर चढ़ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। किसी तरह से मेहमान और गांव के अन्य लोगों ने उन्हें बचाया। आरोप है कि आरोपित थार-स्कार्पियो, स्पोर्ट्स बाइक से अपने साथ दबंगों को लेकर घूमते हैं। मामले में पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।

कार्यालय जिला पंचायत, बदायूँ

पत्रांक : -1417/जि0पं0/नि0अनु0/2025-26 दिनांक :- 05.02.2026

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

.उ0प्र0 शासन के आदेश सं0 05/2019/2902/33-2-2019-198जी/2018 दिनांक 16 अगस्त, 2019 व शासनादेश सं0 1129/33-2-2020-167जी/2018 दिनांक 03 जून, 2020 में दी गई व्यवस्था के अधीन समस्त जिला पंचायत में पंजीकृत ठेकेदारों, लो0नि0वि0 एवं सिंचाई विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि पंचम राज्य वित्त आयोग, 15 वॉ वित्त (टाइड) अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत 5 कार्यों की ई-निविदायें दिनांक 23.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक बेवसाइड http://etender.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु आमन्त्रित की जाती हैं जो इसी दिनांक 23.02.2026 की दोपहर 02.00 बजे से कार्यालय जिला पंचायत, बदायूँ में खोली जायेगी। निविदा शुल्क की धनराशि आर0टी0जी0एस0 (RTGS)/ एन0ई0एफ0टी0 (NEFT) के माध्यम से जिला निधि के खाता सं0 09830100009167 आई0एफ0एस0सी0 कोड BARB0BADAUN में जमा करना अनिवार्य होगा और जमा निविदा शुल्क की युनिक नम्बर रसीद व 10% (दस प्रतिशत) धरोहर (जमानत) धनराशि की एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी के पद नाम से बंधक हो के साथ-2 जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, आयकर व ठेकेदारी का नवीनीकरण/पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। किसी भी निविदा पर बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत में निहित होगा। सन्दर्भित वेबसाइड पर निविदा दिनांक 06.02.2026 की अपर्रान्ह 12.00 बजे से देखी व अपलोड की जा सकती है। सशर्त प्राप्त निविदा तथा नियत तिथि व समय उपरान्त कोई भी वाद व प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा सम्बन्धी अन्य समस्त जानकारी बेवसाइड http://etender.up.nic.in व BUDAUN.NIC.IN पर भी देखा जा सकता है। निविदा सम्बन्धी अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर प्राप्त की जा सकती है।

(पवन कुमार गोयल) अभियन्ता जिला पंचायत, बदायूँ — (विनोद कुमार सिंह) अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बदायूँ — (वर्षा सिंह) अध्यक्ष जिला पंचायत, बदायूँ

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-कौशाम्बी।

पत्रांक/अनु0-02/14323-29/2025-26 दिनांक 04.02.2026

-विज्ञप्ति-

जनपद के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यालयों से लम्बी अवधि से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण निम्नलिखित अध्यापक / अध्यापिकाओं को उनके निवास के पते पर पंजीकृत डाक से कारण बताओ नोटिस / सेवा समाप्ति नोटिस प्रेषित की गयी, परन्तु अद्यतन सम्बन्धित अध्यापक /अध्यापिकाओं के द्वारा अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक अभिकथन /स्पष्टीकरण कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया। संदर्भित विज्ञप्ति के माध्यम से निम्नलिखित अध्यापक/अध्यापिकाओं को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित /सूचित किया जाता है कि वह दिनांक-20.02.2026 तक इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अपना-अपना तथ्यात्मक अभिकथन/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि वह अपने पदस्थापित विद्यालय में पठन-पाठन कार्य हेतु इच्छुक नहीं है, तदानुसार कर्मचारी आचरण नियमावली (अनुशासन एवं अपील) 1999 के आलोक में सेवा समाप्ति की कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे/होंगी। अनुपस्थित अध्यापक/अध्यापिकाओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	अनुपस्थित शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पद नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुपस्थिति का विवरण
01	श्रीमती सुनीता यादव	स०अ०	प्रा०वि०-पूरबशरीरा प्रथम	सरसवॉ	03.03.2022 से
02	श्री रिजवान हैदर	स०अ०	कम्पो०वि०-अगियौना	मंझनपुर	02.05.2022 से
03	श्री कमलेश प्रसाद सिंह	स०अ०	कम्पो०वि०-पण्डीरी	मंझनपुर	01.11.2023 से
04	श्रीमती अलका	स०अ०	उ०प्रा०वि०-अरई सुमेरपुर	मूरतगंज	22.07.2024 से
05	श्रीमती आकांक्षा पाण्डेय	स०अ०	कम्पो०वि०-सैंता	मूरतगंज	12.09.2024 से

डॉ० (कमलेन्द्र कुमार कुशवाहा) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद-कौशाम्बी

शोक समाचार

रस्म उठाला

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूज्य पति श्री देवेंद्र कुमार कपूर का निधन दि.03.02.2026 को हो गया था। उनका रस्म उठाला आज दिनांक 06.02.2026 सायं 3 से 4 बजे तक बाँके बिहारी मन्दिर, राजेन्द्र नगर, बरेली में होगा।

: शोकाकुल परिवार : कीर्ति कपूर (पत्नी), राहुल-स्वाति कपूर, सौरभ-ऋचा कपूर (पुत्र-पुत्रवधू), रितु भाटिया-विप्पन भाटिया (बेटी-दामाद), देवांश, आन्या, किवान, अन्विका एवं समस्त कपूर व बहल परिवार।

निवास पता: A-70/5, न्यू वैभव, सनसिटी विस्तार, बरेली। संपर्क : 9219516682, 7358333202

निधन/शवयात्रा

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूज्य पति श्री मनु अवतार गोयल का स्वर्गवास दिनांक 04/02/2026 को मुंबई में हो गया है उनकी शवयात्रा हमारे निज निवास आर.आर.इंजी.क., सी.बी.गंज, बरेली से दिनांक 06.02.2026 शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे सिटी शमशान भूमि के लिए प्रस्थान करेगी।

शोकाकुल परिवार : प्रीति गोयल (पत्नी), आलोक गोयल-अंशु (भाई-भाभी), अभिमन्यु गोयल-राशी (पुत्र-पुत्रवधु), राधिका गर्ग-पराग गर्ग (पुत्री-दामाद), मुकुंद, अक्षित (भतीजे), अरशिव (पौत्र), अथर्व (धेवता), नेहा (गौरी)-अनिरुद्ध चोखानी (बहन-बहनोई), मालविका-अनुष्का (भांजी), । मो. 9911338774

स्व. श्री छेदालाल जायसवाल

(02 दिसंबर 1936 - 27 जनवरी 2026)

आपको अत्यंत दुःख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे पूज्यनीय पिता जी स्व. श्री छेदालाल जायसवाल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण करके दिनांक 27 जनवरी 2026 को प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं। जिनका दसवां एवं तेरहवीं संस्कार निम्नानुसार संपन्न होगा :

दसवां संस्कार

दिनांक : शुक्रवार, 06 फरवरी 2026

स्थान : बाल परवर सरस्वती, बीसलपुर समय: 1 से 2 बजे तक

तेरहवीं

दिनांक : रविवार, 08 फरवरी 2026 स्थान : निज निवास, छेदालाल कालोनी, बीसलपुर

शोकाकुल :- [illegible]

काव्या (परपौत्र)

दैनिक जागरण

दुःख के क्षणों में सदैव आपके साथ

शोक संदेश दें

रंगीन 5x8=₹2500 Including GST

5x8 से अधिक रंगीन ₹115/- प्रति वर्ग से.मी. +5%GST

कार्यालय : दैनिक जागरण 130 सिविल लाइन्स, बरेली। M. 9756600243, 9759893104

बदायूं : 9319407552, पीलीभीत : 9565001010, शाहजहाँपुर : 9598039387

सार्वजनिक सूचना

पत्रांक: 1555 / पंजी.2025-26/बरेली दिनांक: 10.11.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्था मन्दिर लाला श्याम लाल धर्मार्थ समिति, 379 आलमगिरी गंज बरेली 243003 के पंजीकरण हेतु अखिलेश कुमार अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष की हैसियत से सोसा. रजि. अधि. 1860 के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क व प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त संस्था के स्मृति पत्र व नियमावली में निम्नलिखित पदाधिकारी व सदस्य दर्शाये गये हैं- 1. श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री छित्तर मल शर्मा (संरक्षक), 2. श्री अखिलेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मुकुट बिहारी लाल (अध्यक्ष), 3. श्री गोपाल हरी सिंघल पुत्र स्व. श्री सतीश कुमार अग्रवाल (सचिव), 4. श्री विवेक गोयल पुत्र श्री रवि शंकर अग्रवाल (कोषाध्यक्ष), 5. श्री हिमांशु अग्रवाल पुत्र श्री अशोक शरण अग्रवाल (सदस्य), 6. श्री अनूप शर्मा पुत्र श्री श्याम प्रकाश (सदस्य), 7. श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री ब्रह्म शंकर शर्मा (सदस्य), 8. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ (सदस्य), 9. श्री अरुण कुमार पुत्र श्री शशि कुमार (सदस्य), 10. श्री गौरव पुत्र श्री अरविन्द यादव (सदस्य), 11. श्री अनुराग शर्मा पुत्र श्री राम सिंह शर्मा (सदस्य) उपरोक्त संस्था के पंजीकरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय को दस्तावेजी साक्ष्यों एवं फोटो युक्त नोटरी शपथ पत्र सहित आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना/नोटिस सोसा.रजि.अधि. 1860 की धारा 3 (1) के "परन्तुक" के अन्तर्गत जारी की जा रही है। सहायक रजिस्ट्रार, बरेली

Kalyan Singh Super Specialty Cancer Institute
C.G. City, Sultanpur Road, Lucknow-226002

Website: https://cancerinstitute.edu.in Email: [illegible]

TENDER NOTICE

On-line offers are invited through Custom bid on GeM portal 1-GEM bid No. GEM/2026/B/7165548 dated: 03.02.2026 for the item: Surgical Hyperthermic Intravascular Chemotherapy Perfusion System for Isolated Limb Perfusion (ILP) and Intrathoracic/Intraperitoneal Chemotherapy & 2- GeM bid No. GEM/2026/B/7183280 dated: 04.02.2026 for the item Automatic Cover Slipper from Original Equipment Manufacture/Direct Importers/Authorized Distributors (declared by principal firm only) for the supply & installation of above 2 equipment. Bidders should submit their Representation only on GeM Portal regarding Equipment within time frame provided.

The vendors are required to submit their offers on GeM portal only in two bid system i.e.Technical and Financial bid as per norms of GeM Portal with terms and conditions as mentioned against bidding documents.

For more detailed information you may please visit the Gem portal www.gem.gov.in or our website https://cancerinstitute.edu.in, for reference only.

The Director reserves the right to accept or reject any tender in part or full without assigning any reason thereof.

Advt. no. KSSSCI/Tender-22/2025-26 Director

Postgraduate Institute of Child Health
(PGICH) Sector-30, Noida-201303

[illegible], Tele: +91-120-2455352

Advt. No. PGICH, Noida/MOS/Tender/2026/07 Date- 05.02.2026

Notice inviting bid on GeM/e-tender Portal

Bids are invited for purchase of below mentioned items through GeM/e-tender portal in two-parts comprising of (A) Technical bid & (B) Financial bid from OEM / authorized bidders of OEM. For detailed information please visit the GeM Portal website:https://gem.gov.in and e-tender website:www.etender.up.nic.in.

Sl. No.	Item name	GeM bid no./e-tender
01	E-tender for various Surgical items etc.	Tender documents available from 15.02.2026 to 31.03.2026
02	E-tender for various Medicine items etc.	Tender documents available from 15.02.2026 to 31.03.2026
03	Controlled Rate Freezer	Bid No- GEM/2026/B/7165810
04	Hybridization and Blotting Instrument	Bid No- GEM/2026/B/7170016
05	Point of Care Blood Analyzer-Handheld	Bid No- GEM/2026/B/7170147
06	Decahead Research & teaching Microscope with Camera attachment and imaging software	Bid No- GEM/2026/B/7172023
07	Automated Immunohistochemistry set up	Bid No- GEM/2026/B/7172157
08	Hybridizer (hybridization station)	Bid No- GEM/2026/B/7172413
09	Bioinformatics Facility including server storage and UPS power supply.	Bid No- GEM/2026/B/7172486
10	Selfcontained X Ray Based Blood Irradiator	Bid No- GEM/2026/B/7165400
11	Cooling Table	Bid No- GEM/2026/B/7168536
12	Semi-automated Antigen retrieval system for IHC	Bid No- GEM/2026/B/7170277
13	Wireless Data Logger	Bid No- GEM/2026/B/7169629
14	AMC for VRV ACs and accessories	Bid No- GEM/2026/B/7183960

The Director reserves the right to accept or reject any offer partially or fully without assigning any reason, thereof. Director

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

आसाम रोड, पूरनपुर जिला पीलीभीत 262122 (उ.प्र.) ईमेल: purpil@bankofbaroda.com मो. : +91-8477009710

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना परिशिष्ट - IV-A, (नियम 8(2) एवं 8 (6) का प्रावधान देखें)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 (2) एवं 8 (6) के प्रावधान के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतदद्वारा आम नागरिकों को तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं), बंधकदाता (ओं) और प्रतिभूतदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के यहां बंधक/ प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूत लेनदार ने ले लिया है जिसे निम्नवर्णित खाता/तो में शेष धनराशि की वसूली हेतु "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", तथा "वहाँ जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय किया जायेगा। कर्जदारों/बंधकदाताओं/प्रतिभूतदाताओं/प्रतिभूत आस्तियों/शेष धनराशि/आरक्षित मूल्य ई-नीलामी की तिथि एवं समय ई. एम. डी. और बोली वृद्धि राशि के विवरण निम्नलिखित है :-

क्र./लॉट सं.	ऋणियों/प्रतिभूतदाताओं/बंधकदाताओं के नाम एवं पते	ज्ञात भार, अगर कोई हो, के साथ चल/अचल सम्पत्ति का दिया गया संक्षिप्त विवरण	कुल बकाया	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित राशि / बयाना राशि / बोली वृद्धि राशि	कब्जा स्थिति (सांकेतिक/भौतिक)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय
1.	उधारकर्ता: मैसर्स आदित्य एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्री राजेंद्र सिंह C/O श्री सिया राम पता : वार्ड नंबर 6 मोहल्ला पंडरा मुस्तकिल कलीनगर पूरनपुर जिला : पीलीभीत, यूपी, 262124 प्रोपराइटर : श्री राजेंद्र सिंह C/O श्री सिया राम पता : वार्ड नंबर 6 मोहल्ला पंडरा मुस्तकिल कलीनगर पूरनपुर जिला : पीलीभीत, यूपी, 262124 जमानतकर्ता : श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र सियाराम पता : वार्ड नंबर 6 मोहल्ला पंडरा मुस्तकिल कलीनगर पूरनपुर जिला : पीलीभीत, यूपी, 262124	संपत्ति के साम्यिक बंधक गाटा संख्या 226 क्षेत्रफल 0.417 हेक्टेयर यानी 685 वर्ग मीटर ग्राम पंडरा मुस्तकिल कलीनगर, पूरनपुर जिला पीलीभीत 262124 में स्थित है, संपत्ति के मालिक श्री राजेंद्र सिंह पुत्र सिया राम, पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या 7330 दिनांक 14.10.2011 को बही नंबर 1, जिल्द नंबर 2919 क्रमांक 365 से 378 पर एसआरओ पूरनपुर पर पंजीकृत है। विक्रय पत्र के अनुसार चौहद्दी : पूरब : राम प्रसाद का मकान, पश्चिम : पतरी ग्राम सभा, उत्तर : पतरी ग्राम सभा, दक्षिण : अवध बिहारी का प्लॉट साइट निरीक्षण के अनुसार चौहद्दी : पूरब : ब्रह्म औतार का मकान, पश्चिम : सुरेंद्र का मकान, उत्तर : कालीनगर पीलीभीत रोड, दक्षिण : अवध बिहारी का मकान CERSAI-Id: 400057313283	रुपये 20,10,395.56/- (रुपये बीस लाख दस हजार तीन सौ पिचयानवे रुपये और छप्पन पैसे मात्र) + 21.05.2025 से लागू न किया गया ब्याज + ब्याज वापसी + अन्य शुल्क	18.03.2026 दोपहर 2:00 से सायं 6:00 बजे तक	रू. 55,19,050.00/- / रू. 5,19,050.00/- / रू. 10,000/-	सांकेतिक	09.02.2026 से 16.03.2026 तक प्रातः 10:00 से सायं 04:00 बजे तक
2.	उधारकर्ता : श्री राम कीरत यादव पुत्र सियाराम यादव पता : वार्ड नंबर 6 कलीनगर पूरनपुर जिला : पीलीभीत, यूपी, 262124 जमानतकर्ता : राम प्रताप यादव पुत्र सिया राम यादव पताव : वार्ड नंबर 6 कलीनगर पूरनपुर जिला : पीलीभीत, यूपी, 262124	संपत्ति के साम्यिक बंधक गाटा संख्या 233 क्षेत्रफल 0.696 हेक्टेयर 0.0885 हेक्टेयर में से श्री रामकीरत यादव और श्री राम प्रताप यादव के नाम पर ग्राम पंडरा मुस्तकिल कलीनगर, पूरनपुर जिला पीलीभीत 262124 में स्थित है, पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या 12259 दिनांक 10.11.2022 को बही संख्या 1, जिल्द संख्या 6625, पृष्ठ संख्या 35 से 48 पर एसआरओ पूरनपुर में पंजीकृत है। सीमाएँ निम्नानुसार हैं : पूरब : लिंक रोड, पश्चिम: खरंजा मार्ग, उत्तर : लिंक रोड, दक्षिण : कच्चा चकमार्ग CERSAI-Id: 400073365182	रुपये 11,66,040.70/- (रुपये ग्यारह लाख छियासठ हजार चालीस रुपये और सत्तर पैसे मात्र) + 05.05.2025 से लागू न किया गया ब्याज + ब्याज वापसी + कानूनी और अन्य शुल्क	16.03.2026 दोपहर 2:00 से सायं 6:00 बजे तक	रू. 18,78,500.00/- / रू. 1,87,850.00/- / रू. 10,000/-	सांकेतिक	09.02.2026 से 15.03.2026 तक प्रातः 10:00 से सायं 04:00 बजे तक

विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट लिंक www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm एवं ऑनलाइन नीलामी पोर्टल website : https://baanknet.com देखें। संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल 8477009710 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 06.02.2026 स्थान : पीलीभीत प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा